



सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई0डी0 सं0 (कार्यालय प्रयोग के लिए) 418/1718

श्री विलेन्द्र कुमार
लोक सूचना पदाधिकारी

- सह -

उप निदेशक (क्रम एवं परि०)
पथ निर्माण विभाग, विहार, पटना।

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
8703131
21/3/18

1. आवेदक का नाम - अनिल कुमार सिंह.
2. पूरा पता - अनिल कुमार सिंह, "अनामिका कुंज", रोड नं0-7, उत्तरी पटेल नगर, इन्द्रपुरी, नजदीक - बाबाचौक, पटना-24

3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) - श्री किजम कुंठ सिंह, अवर सीनियर प्रशाखा-3, पठ निठ वि० पटना द्वारा माठ उच्च न्याय, पटना के C.W.J.C NO - 19789/15 में एक प्रतिशपथ-पत्र दायर किया था, जिसका OTH No - 45365 दिनांक - 24.10.2016 था, के कविका - 8 और 15 में जोर में कहा गया है कि वे सीरतय विभागीय आप सेठ - प्र० 3/एम० 73/2009 - 35 सपठित आपांक - 1156 (E) पना, दिनांक - 13.02.15 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आधारित है, पर विभागीय उक्त आप सेठ - 35 दिनांक - 13.02.2015 अस्तित्वहीन/निष्क्रिय/अप्रसुक्त है। इस प्रकार उक्त आप आदेश के आधार पर कही गई सारी बातें अनुपवा किसी भी प्रकार की, की गई कार्रवाई में अस्तित्वहीन/निष्क्रिय/अप्रसुक्त हो जाती हैं।

353/80
23/3-18
30/3/18
श्री-पंजाप
23/3/18

विभागीय आप सेठ - 35 सपठित आपांक - 1156 (E) पना, दिनांक - 13.02.15 अस्तित्वहीन/निष्क्रिय/अप्रसुक्त है, का अवलोकन उक्त सेठ सेठ - प्र० 3/एम० 73/2009 के पृष्ठ - 38/116 42-43/116 एवं 67-68/116 से कर संतुष्ट हुआ जा सकता है, कि किस प्रकार से सीनियरालय सहायक से लेकर प्रथम सीनियर स्तर तक के मिलीमगत से पहले अस्तित्वहीन/अप्रसुक्त आदेश पारित होता है और विभिन्न विभागीय परामर्श/आदेश (पृष्ठ 42-43/116) का अनुपालन (पृष्ठ 67-68/116) आप में विभाग (पठ निठ वि०) द्वारा किया जाता है, की सूचना का जोषकार जीवनिमस "2005" के संदर्भित प्रावधान/कानून के द्वारा - 18(3) (ग) के तहत शपथ-पत्र पर स्पष्ट करने की कृपा की जाए कि किस परिस्थिति में इस प्रकार का अस्तित्वहीन/निष्क्रिय/अप्रसुक्त आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष गलत प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया है। इस तरह का कानून/गलत प्रतिशपथ-पत्र के विरुद्ध G.P.C. का द्वारा - 193 और C.R.P.C. का द्वारा - 340 प्रासंगिक हैं।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी मे मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम "2005" की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. मैंने दस (10) रुपये का पोस्टल ऑर्डर (भुगतान आदेश) सं० - 38F596172 दिनांक - 19.3.18 जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतये है। इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

स्थान - पटना
तिथि - 21.03.2018

अवठ- माठपठ माठ सेठ - 38F596172 दिनांक - 19.03.2018 मूल में रोलन है।

आवेदक का हस्ताक्षर [Signature]
दूरभाष संख्या - 9334829172
पत्राचार का पुरा पता - अनिल कुमार सिंह,
"अनामिका कुंज", रोड नं०-7, उत्तरी पटेल नगर,
इन्द्रपुरी, नजदीक - बाबाचौक, पटना-24

379
26/03/18

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-418/17-18 2413 (E) पटना, दिनांक-28/3/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार सिंह,
"अनामिका कुँज", रोड नं०-7,
उत्तरी पटेलनगर, इन्द्रपुरी,
नजदीक-बाबा चौक, पटना-800024

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-21.03.2018, जो इस विभाग में दिनांक-21.03.2018 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-418/17-18) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. आपके द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(च) के तहत परिभाषित सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटरीकृत निर्मात
पंजीयन सं०
दिनांक-
NSK

36280
2413

विश्वासभाजन,

शैलेन्द्र कुमार
27-3-18

(शैलेन्द्र कुमार)